

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 32
आर्थिक कार्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व पूंजी जोड़									
	773.90	2577.04	3350.94	773.90	2741.75	3515.65	1200.00	3101.56	4301.56	
	92.10	7.02	99.12	61.67	17.45	79.12	150.00	17.53	167.53	
	866.00	2584.06	3450.06	835.57	2759.20	3594.77	1350.00	3119.09	4469.09	
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं <i>अन्य राजकोषीय सेवाएं</i>	2052	...	41.15	41.15	...	53.07	53.07	...	66.37	66.37
2. राष्ट्रीय बचत संस्थान	2047	...	12.10	12.10	...	11.02	11.02	...	11.07	11.07
3. अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना, 1974 के अन्तर्गत जमा रकम पर ब्याज	2047	...	0.20	0.20	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15
4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वर्धित संरचनात्मक समायोजन सुविधा न्यास के आर्थिक सहायता लेखे में अंशदान	2047	...	3.93	3.93	...	4.26	4.26
5. अन्य व्यय	2047	...	0.19	0.19	...	0.21	0.21	...	0.21	0.21
<i>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</i>										
6. तेरहवां वित्त आयोग	2070	...	11.95	11.95	...	14.44	14.44	...	13.80	13.80
7. निवेश आयोग	2070	...	0.94	0.94	...	0.71	0.71	...	0.90	0.90
8. अन्य व्यय	2070	...	2.43	2.43	...	1.88	1.88	...	3.26	3.26
<i>विविध सामान्य सेवाएं</i>										
9. अन्य कार्यक्रम	2075	...	0.04	0.04	...	0.56	0.56	...	0.12	0.12
<i>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</i>										
10. अन्य व्यय	2235	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
11. केंद्रीय सड़क निधि										
11.01 केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण	3054	773.90	...	773.90	773.90	...	773.90	1200.00	...	1200.00
11.02 मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहण के प्रति रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अंशदान	3054	773.90	...	773.90	773.90	...	773.90	1200.00	...	1200.00
11.03 घटाइए-केन्द्रीय सड़क निधि से पूर्ति	3054	-773.90	...	-773.90	-773.90	...	-773.90	-1200.00	...	-1200.00
	जोड़	773.90	...	773.90	773.90	...	773.90	1200.00	...	1200.00
<i>अन्य परिवहन सेवाएं</i>										
12.01 लाभांश राहतों और अन्य रियायतों के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता	3075	...	1707.69	1707.69	...	1735.17	1735.17	...	2026.43	2026.43
12.02 सामरिक रेल लाइनों का संचालन करने के लिए रेलवे को हानियों की प्रतिपूर्ति	3075	...	500.00	500.00	...	646.00	646.00	...	600.00	600.00
12.03 आरआईटीईएस को रेलवे प्रति-गारन्टी के लिए सहायता	3075	166.62	166.62
घटाइए : गारन्टी विमोचन निधि से पूर्ति	3075	-166.62	-166.62
	निवल
12.04 आईआरसीओएन को रेलवे प्रति-गारन्टी हेतु सहायता	3075	22.72	22.72
घटाइए : गारन्टी विमोचन निधि से पूर्ति	3075	-22.72	-22.72
	निवल
	जोड़	...	2207.69	2207.69	...	2381.17	2381.17	...	2626.43	2626.43
<i>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</i>										
13. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंशदान	3466	4.74	4.74
14. भारतीय निवेश केन्द्र को अनुदान	3475	...	0.01	0.01
15. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2416	28.51	28.51
	3475	...	8.22	8.22	...	13.31	13.31	...	13.81	13.81
	जोड़	...	8.22	8.22	...	13.31	13.31	...	42.32	42.32
16. अनिवासी भारतीय बांड योजना के अन्तर्गत मुद्रा हानि	3475	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
(करोड़ रुपए)										
सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं में निवेश										
17.01 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) में भारत सरकार के अंशदान का हिस्सा	5465	4.90	4.90	
17.02 एनएसडीसी की आधार भूत निधि में अंशदान	5465	995.10	995.10	
घटाइए : सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि (एसआईडीएफ) से पूर्ति	5465	-1000.00	-1000.00	
	<i>निवल</i>	
18. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	5466	14.52	14.52	
19. अवसंरचना विकास के लिए सहायता	5475	92.10	...	92.10	61.67	...	61.67	150.00	...	150.00
20. भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ)	5475	...	0.01	0.01	...	12.61	12.61	...	12.60	12.60
	5475	-12.01	-12.01	...	-12.60	-12.60
	<i>निवल</i>	...	0.01	0.01	...	0.60	0.60
21. अन्य व्यय										
21.01 एक्जिम बैंक आफ इंडिया को ब्याज बराबरी हेतु सहायता	3475	...	232.00	232.00	...	209.76	209.76	...	278.00	278.00
21.02 अन्य व्यय	3475	...	12.61	12.61	...	12.56	12.56	...	15.06	15.06
	<i>जोड़</i>	...	244.61	244.61	...	222.32	222.32	...	293.06	293.06
अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग										
22. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अंशदान	3605	...	22.05	22.05	...	20.26	20.26	...	22.05	22.05
23. अन्य देशों के साथ सहयोग	3605	...	16.01	16.01	...	16.88	16.88	...	16.56	16.56
24. अन्य व्यय	3605	...	0.01	0.01
25. विकास सहायता-भारतीय विकास और आर्थिक सहायता स्कीम	3605	...	5.00	5.00	...	1.00	1.00	...	0.01	0.01
26. बजट प्रेस के लिए बहुरंगी वेब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन की खरीद	4075	...	3.00	3.00	...	2.04	2.04	...	3.00	3.00
27. सामान्य वित्त एवं व्यापार संस्थाओं के लिए ऋण	7465	...	0.01	0.01
28. विदेशी सरकारों को विकास सहायता										
(क) श्रीलंका	7605	10.51	10.51	...	0.01	0.01
(ख) कम्बोडिया	7605	...	4.00	4.00	...	4.30	4.30
	<i>जोड़</i>	...	4.00	4.00	...	14.81	14.81	...	0.01	0.01
करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल										
29. एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	4046	...	500.00	500.00	...	885.20	885.20	...	894.00	894.00
घटाइए - वसूलियां	4046	...	-500.00	-500.00	...	-885.20	-885.20	...	-894.00	-894.00
	<i>निवल</i>
कुल जोड़		866.00	2584.06	3450.06	835.57	2759.20	3594.77	1350.00	3119.09	4469.09
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. सड़कें और पुल	13054	773.90	...	773.90	773.90	...	773.90	1200.00	...	1200.00
2. विविध सामान्य सेवाएं	32075
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	92.10	...	92.10	61.67	...	61.67	150.00	...	150.00
जोड़		866.00	...	866.00	835.57	...	835.57	1350.00	...	1350.00

1. इसमें आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
2. इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित राष्ट्रीय बचत संस्थान के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
3. जमा राशियों पर ब्याज के प्रति अतिरिक्त परिलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के लिए प्रावधान है।
4. यह प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्धित संरचनात्मक समायोजन सुविधा (ईएसएएफ)-पीआरजीएफ न्यास निधि में भारत के अंशदान, दिल्ली में आईएमएफ के आवासीय कार्यालय की किराया लागत और जी-24 यूएन सीटीएडी न्यास निधि में अंशदान के लिए है।
5. यह प्रावधान अनिवार्य जमा (आयकरदाता) योजना के तहत ब्याज संदाय पर व्यय के लिए है। अनिवार्य जमा (आयकरदाता) अधिनियम, 1974, को 1.4.1996 से निरस्त कर दिया गया है और वापस न ली गई जमाराशियों पर उस तारीख से ब्याज लगना बंद हो जाएगा। यह प्रावधान अनाहरित जमाराशियों पर ब्याज संदाय के लिए है।
6. यह प्रावधान 13वें वित्त आयोग के व्यय पूरा करने के लिए किया गया है।
7. यह प्रावधान निवेश आयोग के लिए है।
8. यह प्रावधान प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के संबंध में आर.आर.टी. आदि के भुगतान के लिए है।
9. इसमें मियादी मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज संदायों और सरकारी खातों में जमा अस्वामिक प्रतिभूतियों, तथा सीएए एंड ए प्रभाग को विश्व बैंक अनुदान देने के संबंध में भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है। इसके साथ-साथ देशीय सहयोग ढांचा-II विदेशी संघटक के लिए एक स्थानीय सहायता परियोजना के संबंध में छुट-पुट भुगतान करने के लिए है।
10. यह प्रावधान बचत योजना और गरीबों के लिए बीमा योजना के लिए है।
11. पेट्रोल तथा डीजल पर लगाया गया उपकर केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अंतर्गत मानव-रहित रेलवे क्रासिंग पर रेलवे उपरिसेतुओं/रेलवे सुरक्षा कार्यों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए आवंटित किया जा रहा है।
12. यह सामान्य राजस्व में से रेलवे को संदेय लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए आर्थिक सहायता का द्योतक है। इसमें रेलवे को महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों को चलाने हेतु हानियों की वापसी अदायगी के लिए भी प्रावधान है।
13. इसमें एसडीआर लेखों के प्रशासन के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय मूल्यांकन प्रभारों हेतु प्रावधान है।
15. इसमें एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता योजना के लिए और तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि में अंशदान के लिए और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन को अंशदान, राष्ट्रीय सम्पर्क के नेटवर्क और एशियाई विकास बैंक के तकनीकी कार्यक्रम (इंडिया ट्रस्ट फंड) हेतु प्रावधान शामिल है।
16. यह प्रावधान अनिवासी भारतीय बांड के अंतर्गत मुद्रा हानि के लिए किया गया है।
18. इसमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और अफ्रीकन विकास निधि की पूंजी पुनःपूर्ति के भारत के हिस्से में निवेश तथा अफ्रीकन विकास बैंक के पूंजी स्टॉक के प्रति अंशदान हेतु प्रावधान शामिल हैं।
- 19-20. इसमें अवसंरचना परियोजनाओं में बजटीय सहायता प्रदान करते हुए नए फंडिंग तेज को स्थापित करने के लिए आयोजना प्रावधान शामिल है। यह अर्थ क्षमता अंतर (बीजीएफ) के प्रावधान के माध्यम से सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
21. इसमें भारत सरकार से समर्थित ऋण श्रृंखलाओं के लिए एक्जिम बैंक आफ इंडिया को ब्याज समानीकरण सहायता के लिए इमदादों का प्रावधान है। इसमें न्यायालय परिसमापक कार्यालय; भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय, भारतीय दूतावास के आर्थिक स्कन्ध, वाशिंगटन और टोक्यो; विभिन्न आर्थिक अनुसंधानोन्मुख संस्थाओं/संगठनों को अनुदान हेतु प्रावधान है।
- 22 और 25. इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान, कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता और विश्व पर्यावरणीय सुविधा, जो विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित एक प्रायोगिक कार्यक्रम है, को अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है जिसके अंतर्गत विकासशील देशों को विश्व पर्यावरण का संरक्षण करने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता हेतु अनुदान अथवा रियायती ऋण प्रदान किए जाएंगे।
26. इसमें सं.अ. 2008-09 में बजट प्रेस में तीन चाकू से कटाई वाली मशीनों की खरीद और ब.अ. 2009-10 में एक नई गेदरिंग मशीन की खरीद हेतु प्रावधान है।
28. यह प्रावधान मित्र विकासशील देशों को उदार शर्तों पर ऋण देने के लिए आशयित है।
29. यह प्रावधान सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिनिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसपीएमसीआईएल) से सिक्कों की खरीद के लिए किया गया है।